उत्तर प्रदेश शासन
महिला एंव बाल विकास अनुभाग-1
संख्या-3/1995/60-1-13-1/13(71)/06
लखनऊ, दिनांक 07 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत शासनादेश सं0-833/60-1-10-1/13()71/06, दिनांक 21 मई, 2013 के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के शिशु/बालक /बालिका को निराश्रित होने से रोकने, परिवारों तथा समूह पालन-पोषण गृहों के माध्यम से पारिवारिक परिवेश में बाल देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रवर्तकता (**SPONSORSHIP**) तथा पालन-पोषण देख-भाल (**FOSTER CARE**) कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु "प्रवर्तकता तथा पालन-पोषण देख-भाल अनुमोदन समिति" का गठन करते हुए कार्यक्रम के चयन के मानकों का विवरण निर्गत किया गया था।

उपरोक्त कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार प्रवर्तकता (**SPONSORSHIP**) तथा पालन-पोषण देख-भाल (**FOSTER CARE**) कार्यक्रम की पात्रता की शर्तो के अन्तर्गत चयनित बच्चों के अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 12000/- प्राविधानित है, जबकि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 में अधिकतम वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 19884/- तथा शहरी क्षेत्र में रू0 25546/- निर्धारित की गयी थी। योजना भारत सरकार द्वारा पोषित होने के कारण उनके द्वारा निर्गत मानकों को स्वीकार करते हुए उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 21 मई, 2013 के प्रस्तर-5 में अधिकतम वार्षिक आय रू0 12000/- के रूप में यथा संशोधित माना जाय।

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1995(1)/60-1-13,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

(1) सचिव, भारत सरकार, महिला एंव बाल विकास मत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला कल्याण विभाग ।

(3) अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ0प्र0, लखनऊ।

(4) सदस्य सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

(6) समस्त जिलाधिकारी, (अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण संस्था), उ0प्र0।

(7) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(9) समस्त अध्यक्ष/प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, उ0प्र0।

(10) समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(11) समस्त जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(12) समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, उ0प्र0।

(13) वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमेश मिश्र)
विशेष सचिव ।

htpp://shasanadesh.up.nic.in

htpp://shasanadesh.up.nic.in